-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 14.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के इंडोर कक्षा का किया गया निरीक्षण । निरीक्षण के दौराने रिक्रूट आरक्षियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों, कर्त्तव्य व साइबर अपराध जागरुकता के बारे में दी सिखलाई ।**

विवरण- सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री मेविस टॉक द्वारा पुलिस लाइन बांदा में चल रहे प्रशिक्षण की इंडोर कक्षा का निरीक्षण किया । इस दौरान रिक्रूट आरक्षियों को कानून के बारे में जानकारी, साइबर अपराधों, आपदा प्रबधन प्रणाली व विशेष कानून अधिनियम आदि के बारे में सिखलाई दी गई । सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंडोर कक्षा से सम्बन्धित जानकारी देते हुए बताया कि कानूनी व तकनीकी जानकारी फील्ड में काम करते समय बहुत ही उपयोगी साबित होगी साथ ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड सहिता व साक्ष्य अधिनियम जैसे कानून की जानकारी ज्यादा से ज्यादा गहन अध्ययन करें जिससे आने वाले समय में आप एक नई दिशा में कार्य को सुचारु रुप से कर सके । संचार कौशल व साइबर अपराध जो कि वर्तमान में आमजनमानस की सबसे बड़ी समस्या है इसको साझा करते हुए बताया कि केवाईसी अपडेट के नाम पर फर्जी कॉल्स या लिंक भेजकर उपयोगकर्ताओं से उनके निजी और बैंकिंग डिटेल्स मांगी जाती हैं । ओटीपी फ्रॉड जिसमें कॉल या मैसेज के ज़रिए उपयोगकर्ताओं से ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर कर लेना व यूपीआई स्कैम (UPI Scam) जिसमें UPI पेमेंट लिंक या QR कोड स्कैन कराकर खातों से राशि चुरा लेने । सोशल मीडिया हैकिंग जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर उनसे फर्जी संदेश भेजकर लोगों से पैसे मंगवाने। फर्जी कॉल्स जिसमें खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस या किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रतिनिधि बताकर ठगी करने । फिशिंग ईमेल्स (Phishing Emails) जिसमें आकर्षक ऑफर्स या नौकरी के नाम पर ईमेल भेजकर यूजर्स की निजी जानकारी लेना आदि प्रकार के साइबर अपराधों के बारें में जानकारी दी गई । अंत में रिक्रूटो आरक्षियों को ऑनलाइन एफआईआर, सीसीटीएस व आईसीजीएस पोर्टल आदि के बारे मे जानकारी दी गई ।